

1	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियट्स जज	नम्बर व तारीख अदालत जो हुक्म हुक्म को तय्यिन में जारी हू
---	------------------------------------	---

6 पत्रावली पेश हुई। वकूलाथ पक्षकारान उर्फ उमि.
6 को जवाब हेतु अतिरिक्त अवसर किमा जात है।
पत्रावली दिनांक 03.05.26 को पेश है

03/05/26

अवकाश परपक्षी
दिनांक 03/05/26

06/05/26

पत्रावली पेश हुई। वकूलाथ पक्षकारान उर्फ उमि अवसर
के बावजूद भी अग्रणी सं 6 ने जवाब पेश नहीं किमा/अतः
अपना जवाब बन्द किमा जात है। पत्रावली वास्ते वहस
दिनांक 04.05.26 को पेश हो।

1-05-26

पत्रावली पेश हुई। वकूलाथ पक्षकारान उर्फ उमि। वहस
पर उग्रमपक्ष अधिलकारागम को सुना गया। वहस पर
मनन किमा गया। पत्रावली एवं इसमें उस्तुत दस्तावेजी
रिपोर्ट का मली मोहि अवलोकन किमा गया।
जिससे एक इसमतीजे पर पहुंचे है कि उकरज
से संबंधित दोष में भूमिका यदि भी है स शब्द वाडण्ड
विभाजन नहीं हुआ है अतः सहकारेदारान का
प्रत्येक ईच पर कब्जा माना जाक वाजिब है।
अवलोकन से जाहिर होता है कि उग्रम हुक्म
मामला एवं सुविचार का संतुलन प्राथी के एक में प्रतीत
नहीं होता है।
यूक्ति पक्षकारान सहकारेदारान है तथा उनके
हकों का निश्चरण दोष में विभाजन उस्तुत रिपोर्ट
प्राप्त होने के पश्चात् एवं गुभावसुण के आधार पर
हो सकेगा तब तक अन्य सहकारेदारान को आस्थाई
विवेधाना से पाबन्ध किमा जात उचित नहीं समझते
है तथा प्राथी पत्र प्राथी को लीकार किमा जाक
उचित नहीं पतरे है।

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही का दिनांक जत

अतः अधिकांश पत्र अधिकांश अंतर्गत बादा 212 RTI
इसी स्तर पर अधिकांश किया जाता है।

सत्रावली के अंतर्गत सुमाए होकर नंबर से लग
हो, तथा मैलान इस वाद हो।

उपरोक्त अधिकारी
मुसावर (मस्तपुर) राजपू